झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

पत्रांक : 3/Grant/RMVU/28/कृ0 नि0-2017-18 35 /कृ0, रांची, दिनांक : 10-12-2020

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्धीख पी.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रांची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : वित्त (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार) विभाग।

विषयः- **रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केन्द्र रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान** (RKMVERI), **मोराबादी, रांची, झारखण्ड को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदत्त रू0 294.00 लाख की स्वीकृति का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2020-21 तक करते हुए राशि रू0 147.00 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः- स्वीकृत्यादेश संख्या-86 दिनांक-25.06.2019

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश द्वारा रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान (RKMVERI), मोराबादी, राँची को वर्ष 2019-20 में उनके पत्रांक-45 दिनांक-02.05.2019 के आलोक में कुल राशि रू0 294.00 लाख स्वीकृत किया गया तथा आवंटनादेश संख्या-38 दिनांक-11.07.2019 के द्वारा प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) की राशि 147.00 लाख रू0 आवंटित किया गया किन्तु द्वितीय किस्त (शेष 50 प्रतिशत) की राशि 147.00 लाख कतिपय कारणवश आवंटित नहीं किया जा सका। प्रथम किस्त की राशि रू0 147.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त है।

2. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित शीर्ष में राशि का आगणन पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत्यादेश सं0-26 दिनांक-10.11.2020 द्वारा की गयी है।

3. उक्त क्रम में रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान (RKMVERI), मोराबादी, रांची, झारखण्ड को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदत्त रू0 294.00 लाख की स्वीकृति का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2020-21 तक करते हुए राशि रू0 147.00 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न वर्णित बजटशीर्ष के अंतर्गत की जायेगी :-

क्र0	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि (राशि रू0 लाख में)
1	मांग सं0-01 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), मुख्यशीर्ष-2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-17-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष -06 - अनुदान, 79 -सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड-01S241580796170679	147.00

योजना का कार्यान्वयन इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0-86 दिनांक-25.06.19 में वर्णित अन्य सभी शर्तों के अनुरूप की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि रू0 294.00 लाख (दो करोड़ चौरानबे लाख रूपये) मात्र के विरूद्ध राशि रू0 147.00 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख रू0) मात्र की निकासी कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची के विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची के द्वारा की जाएगी तथा उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन के माध्यम से रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केन्द्र रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान (RKMVERI), मोराबादी, रांची, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या-86 दिनांक-25.06.2019 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

(अबुबक्कर सिद्धीख पी.)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/Grant/RMVU/28/कृ0 नि0-2017-18 35 /कृ0, रांची, दिनांक- 10-12-2020

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, राँची/उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/Grant/RMVU/28/कृ0 नि0-2017-18 35 /कृ0, रांची, दिनांक- 10-12-2020

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/Grant/RMVU/28/कृ0 नि0-2017-18 35 /कृ0, रांची, दिनांक- 10-12-2020

प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/कुलपति, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान, बेलूर मठ, हावड़ा, प0 बंगाल/रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, मोराबादी, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/Grant/RMVU/28/कृ0 नि0-2017-18 35 /कृ0, रांची, दिनांक- 10-12-2020

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव-सह-विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/योजना शाखा-3/लेखापाल/लेखा शाखा/रोकड़ प्रभारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची (10) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/Grant/RMVU/28/कृ0 नि0–2017–18 35 /कृ0, रांची, दिनांक– 10-12-2020

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3/Grant/RMVU/28/कृ0 नि0–2017–18 35 /कृ0, रांची, दिनांक– 10-12-2020

प्रतिलिपि– प्रशासनिक पदाधिकारी, रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, रांची, झारखण्ड पिन नं0–834008 को मूल प्रति के अलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ईमेल आईडी–rkmvu.rch@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1315

पत्रांक संख्या :- 35

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 10/12/2020

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

ABOOBACKER SIDDIQUE P
SECRETARY
AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND COOPERATIVE, NEPAL HO

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय , .
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केन्द्र रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान (RKMVERI), मोराबादी, रांची, झारखण्ड को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदत्त रू. 294.00 लाख की स्वीकृति का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2020-21 तक करते हुए राशि रू. 147.00 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 01 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के, राज्य स्कीम
मुख्यशीर्ष - 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
उपमुख्य शीर्ष - 80-सामान्य
राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	□1,47,00,000.00
कुलराशि :-	□1,47,00,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
01S241580796170679	17 - बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान	79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

59.97.147.248

Run Date: 11/12/2020